INDIA NON JUDICIAL

Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000

RUPEES 25000

10 APR 2004

03DD 238959

उ०प्र० स्टाम्प अधिनियम व का[illegible] की धारा २(१०) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्पित -

- ग्रामीण क्षेत्र
- विक्रयपत्र मालियत - ६,००,०००) रुपया
- एक किता आराजी [illegible] भूमिधरी श्रेणी १क(क) [illegible] मौजा [illegible] मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा तादादी ०.५२२ हैक्टेयर जो कि साथ लगे नक्शे में रंग लाल से दिखाई गई है जिसके चारों ओर १०० मीटर की परिधि में अन्य आराजी भूमिधरी है तथा नम्बरान का विवरण नीचे दिया है
- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित सर्किल रेट चालीस लाख रुपया प्रति हैक्टेयर

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति
आगरा

[illegible]

13-5-04

(के० डी० पाराशर)

मुख्य [illegible]

कोषागार, आगरा

[illegible] 600000/-

[redacted]

[illegible] 2006-07

श्री [illegible] तिवारी पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

नि वह:

आगरा

[illegible] 14-5-04

मूल्य [illegible] लिया।

[illegible]

आगरा 14-6-04

[redacted]

[illegible]

[redacted]

[illegible]

Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

10 APR 2004

-२-

0300 238960

- इस विक्रयपत्र पर दस प्रतिशत की दर से २,४४,७००) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-०-०-०-

हमकि रामबाबू शर्मा पुत्र स्व० श्री सीताराम शर्मा निवासी ग्राम मजरा गुल्लकिल तहसील व जिला आगरा बहैसियत मुख्तार आम मिनजानिब श्री मंगल पुत्र श्री रोशन व श्री हरीसिंह पुत्र श्री लालसिंह पुत्रगण स्व० श्री रामजीलाल निवासीयान ग्राम मजरा मुल्ला कुल तहसील व जिला आगरा द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक ८-११-२००० व मुसद्दिका ८-११-२००० मुद्रक फोटोस्टेट बही संख्या ४ पुस्तक खण्ड संख्या २२२ के सफा १३१३६ नम्बर १०७६ व दफ्तर उप निबन्धक-१ आगरा व शशिकान्त गौतम पुत्र श्री रमाकान्त गौतम निवासी १२ सौरा निकुंज दयालबाग आगरा व रामवीर सिंह पुत्र श्री रूपरामसिंह निवासी ८३ कृष्णा बाग दयालबाग आगरा व राकेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्रसिंह निवासी बगला हवेली दयालबाग हरिपर्वत वार्ड

(नरदीप कुमार सेठ)
सचिव
सहकारी आवास समिति
आगरा

Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 238961

-३-

2004

आगरा व अहेविधक कुमार नाम मिनजानिब श्री परेशसिंह पुत्र श्री कारे व श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी स्व० श्री ज्ञानसिंह निवासीयान मौजा मजरा मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक ३०-७-२००२ व मुहर्रिरा ३०-७-२००२ मुंदर्जा बही नं० ४ जिल्द ८२१ के सफा १४३।१५२ नम्बर ६७१ व दफ्तर सब-रजिस्ट्रार नं० २ आगरा - विक्रेतागण प्रथम पक्ष

बनाम

पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा रजिस्ट्रेशन नम्बर ३१३२ द्वारा वर्तमान सचिव व अधिकृत हस्ताक्षरी व प्रतिनिधि श्री जयदीप तिवारी पुत्र अनोखेलाल तिवारी निवासी २३ विनायक विहार कमौठा शहर आगरा - क्रेता - द्वितीयपक्ष है।

(जयदीप कुमार तिवारी)
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

03DD 238962

-४-

विदित हो कि उक्त श्री मंगा व श्री हरीसिंह व श्री लाखनसिंह एक तिहाई भागों भूमिधरी खाता सम्वत ३६० खसरा नौ बिस्वा व ४०९।१ खसरा छै: बिस्वा व ४०८ खसरा आठ बिस्वा व ४०७ खसरा पन्द्रह बिस्वा व ४०३।१ खसरा सात बिस्वा व ४४२ खसरा नौ बिस्वा व ३२६क खसरा बारह बिस्वा व ३०८ खसरा सात बिस्वा दस बिस्वांसी व ३६८ खसरा एक बीघा पन्द्रह बिस्वा व खसरा नंबर ४०९।२ खसरा तीन बीघा चार बिस्वा व ४०३।२ खसरा एक बीघा तीन बिस्वा व ३०६ खसरा छै: बिस्वा व ३६९ खसरा सोलह बिस्वा किता तेरह खसरा सात बीघा ग्यारह बिस्वा दस बिस्वांसी के चौथाई भाग व कदर दो बीघा चार बिस्वा सात बिस्वांसी दस कचवांसी के तनहा मालिक काबिज हैं जिसके सम्बन्ध में उन्होंने

रामपाल

सचिव

सहकारी समिति लि

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

03DD 238963

12 APR 2004

-५-

स्वेच्छा से उक्त मुख्तारनामा लेख दिनांक ८-११-२००० से श्री रामबाबू शर्मा को मुख्तार आम नियुक्त किया और उक्त मुख्तार ने उनकी जानकारी में उक्त कुल आराजी का १।६६ भाग रकबा ०.१३६५ हैक्टेयर को बजरिए विक्रयपत्र मनिस्बा रामबाबू शर्मा बहैसियत मुख्तार निवासीगण श्री गंगा व श्री हरीसिंह व श्री लाखनसिंह पुत्रगण सचिचन्द गौतम व श्री रामवीर सिंह लेख दिनांक २८-१-२००१ व मुतालिका रजिस्टरी से उक्त सचिचन्द गौतम व श्री रामवीरसिंह उक्त प्रथमपक्ष को बैनामा कर दिया और शेष भाग उनके पास बाकी बचा रहा ।

(राजवीर कुमार तिवारी)
सचिव
नागरिक सहकारी आवास समिति लि
आगरा

Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

12 APR 2004

03DD 238964

-6-

यह विदित हो कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा तीन बिस्वा वाकै मौजा कठ मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा के श्री [illegible] व श्रीमती पुष्पादेवी मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर हैं उन्होंने स्वेच्छा से उक्त आराजी के सम्बन्ध में उक्त मुख्तारनामा आम दिनांक [illegible] बहक राकेश कुमार निष्पादित किया ।

विदित हो कि इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त आराजी रकबा दो बीघा चार बिस्वा सात बिस्वांसी दस कचवांसी तथा आराजी रकबा तीन बिस्वा कि जिनके विवरण ऊपर दिये गये हैं - के बाहैसियत मालिक काबिज हैं अन्य कोई दावेदार या हकशफा आदि-आदि किसी प्रकार का नहीं है, कि जो प्रथमपक्ष को उक्त आराजी या उसके भाग को बेचने आदि से रोक सके तथा उक्त आराजी भूमिधरी आज तक हर तरह के भार व चार्ज व [illegible]

सचिव

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

03DD 238965

-८-

व मुकाबिले व कुलमकानात आदि से तमाम पाक व साफ है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त सिलिंग भूमि घोषित हुआ है और न सम्बन्धित हुआ है और न कोई मुकदमा अदालत या अन्य में प्रस्तुत किया है और उक्त मुक्ताहरान व मूल बैनामे अपनापत्र के पास मौजूद है कि जो किसी आड़ या अमानत आदि में नहीं दिये गये हैं तथा उक्त दोनों मुक्ताहरान पास कब्जा सही व कालिब हैं और आदम व बरकरार हैं और उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं हुई है तथा उनके निष्पादनकर्ता जीवित हैं।

सचिव

सहकारी आवास समिति लि०

आगरा

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 238966

-6-

[illegible] विदित हो कि प्रथमपक्ष को अपनी उक्त आराजी भूमिधरी से कोई विशेष लाभ नही है और वह अपनी जरूरत पर अपनी उक्त आराजी भूमिधरी को बाजार मे अधिक से अधिक कीमतपर बेचना चाहते है और वर्तमान मे द्वितीयपक्ष अपनी जरूरत पर सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे है कि जिसमे प्रथमपक्ष का पूरा-पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष उक्त आराजी भूमिधरी को द्वितीयपक्ष के हक मे बेचने को तैयार हैं ।

[illegible]
[illegible] सहकारी [illegible] समिति लि.
आगरा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. R. 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

10 APR 2004

-६-

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थचित्त मन बुद्धि इन्द्रिय के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझ कर उक्त आराजी भूमिधरी रकबा ०.५११ हैक्टेयर जिसके खसरा नम्बरान उक्त पृष्ठ नम्बर ४ पर दिये हैं, और समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से बिल्कुल म स्वब 6,00,000) छः लाख रुपया कि आधे जिसके तीन लाख रुपया होते हैं बदस्त पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा सचिव श्री जयदीप तिवारी उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के गुड टायटिल से बैय कतई की और बेच दी।

सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.   Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

12 APR 2004

प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया नकद रोकड़ी वक्त रजिस्टरी अलावा हाजा के द्वितीयपक्ष से नकद पाना स्वीकार किया इस तरह प्रथमपक्ष को अब कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और प्रथमपक्ष ने आराजी मुबैया पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को आराजी मुबैया का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया। अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह आराजी मुबैया से बहैसियत मालिक काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे

सचिव
सहकारी ... समिति लि०

1000Rs.

१०००रु Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

12 APR 2004

क्रय-विक्रय आदि करे काश्त हर किस्म पैदा करे और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावे और अपना नामांकन सम्बंधित विभागों से करा ले प्रथम पक्ष हर तौर रजामंदी देंगे आज तक के कुल बकाया लगान प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।

सचिव

सहकारी [illegible] समिति लि०

आगरा

1000Rs.

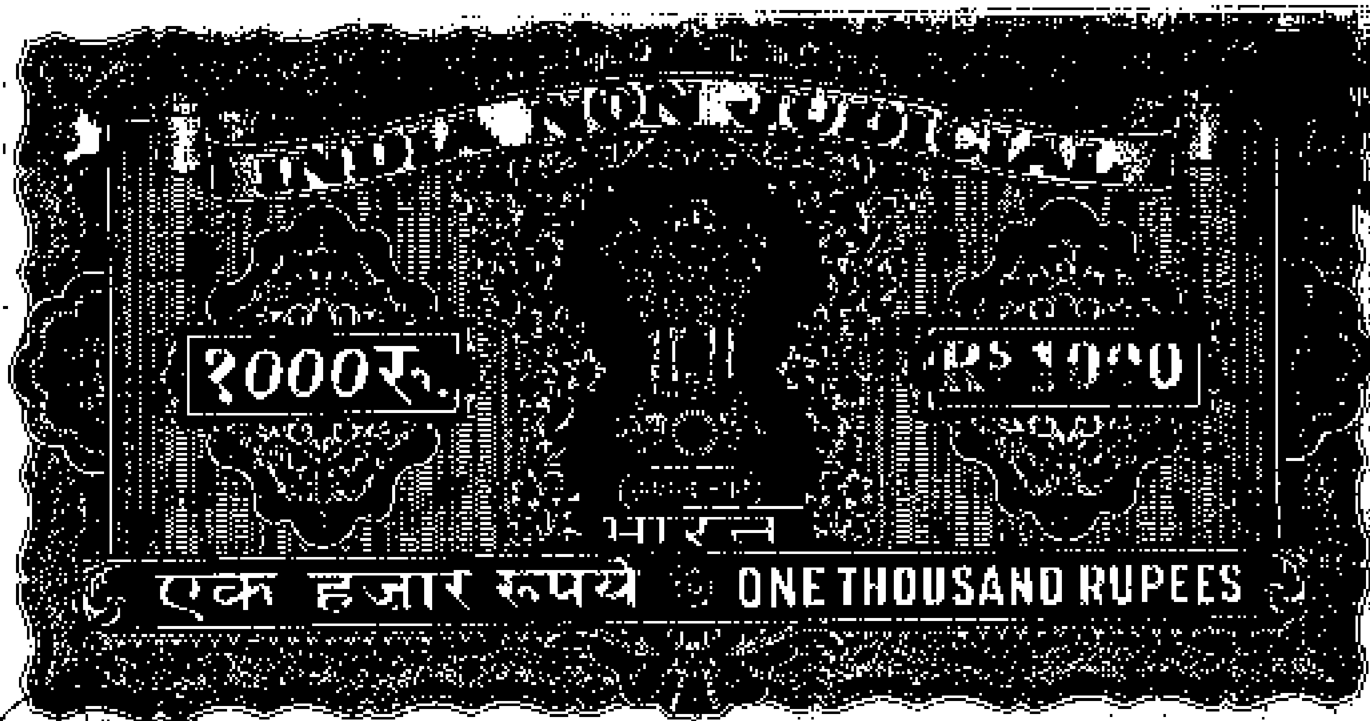

-१२-

यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी प्रकार का आराजी मुतैया के सम्बंध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा विक्रीयपत्र से करे और उसके कारण या प्रथमपत्र के विपरीत पत्र टायटिल में कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से आराजी मुतैयन का

सचिव
सहकारी ... समिति

1000Rs.

₹1000 Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना वारिसान को मय सूद व हरजा व खर्चा के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष के मकफूला व मुनफारदम से बाहर आयदा होगा और इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कभी कुछ उजर न होगा। इस बैनामा का कुल खर्चा द्वितीयपक्ष के जिम्मे है।

(15)

1000Rs.

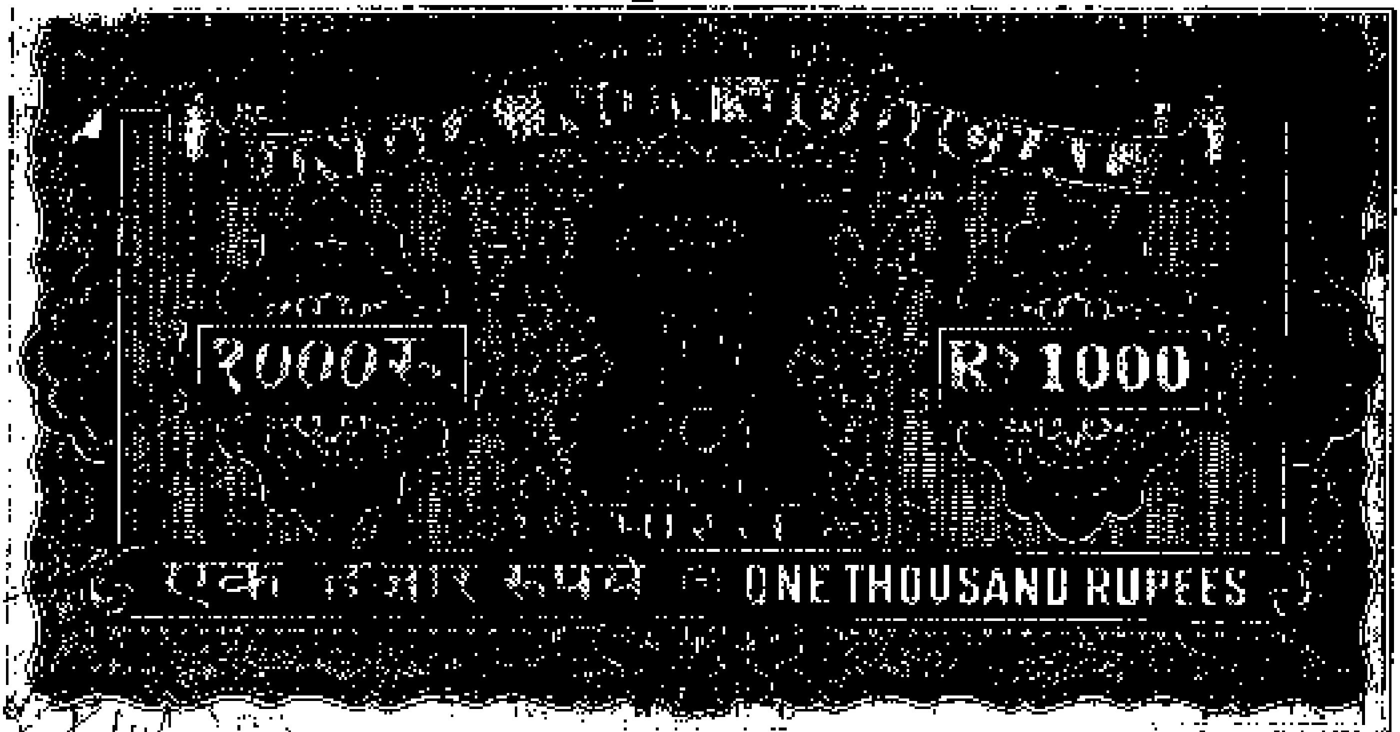

-१४-

अतः यह बैनामा हस्त हिदायत पक्षकारों के लिख दिया कि

सचिव
सहकारी ग्राम समिति लि०

500Rs.

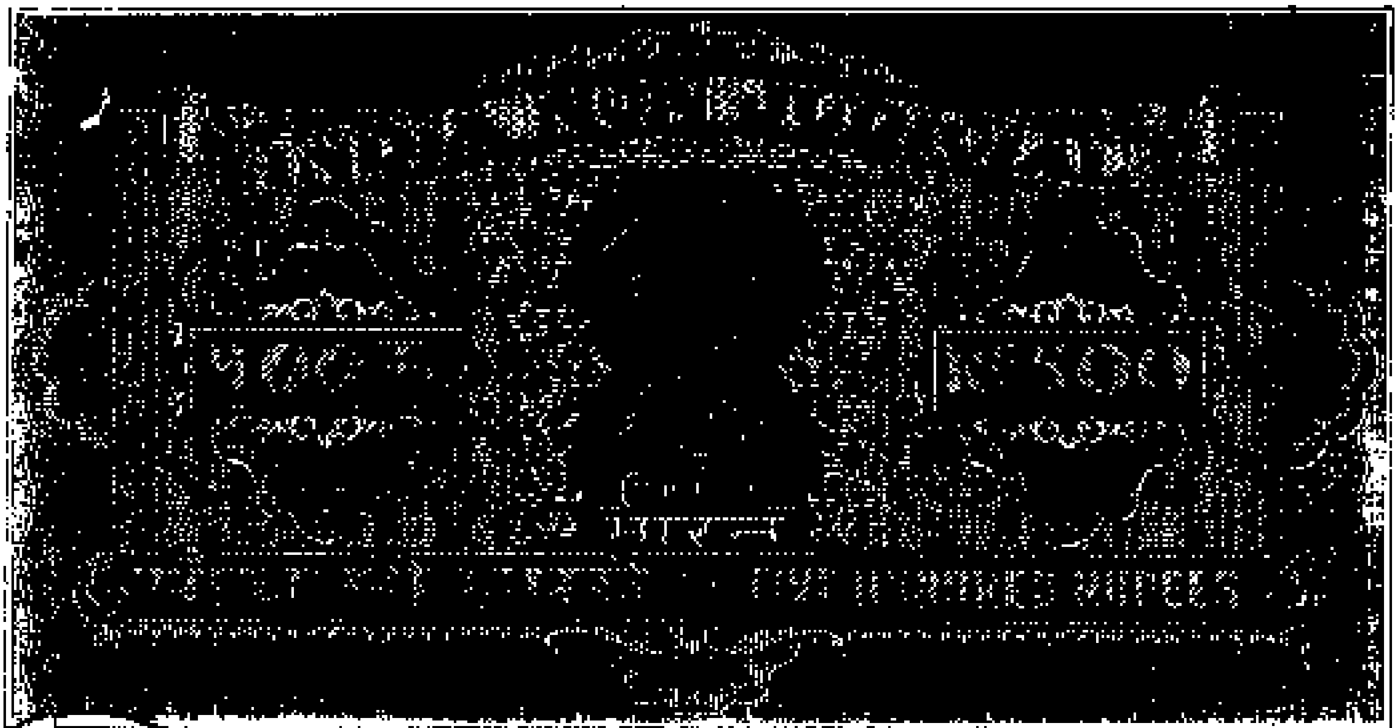

सनद रहे और वक्तपर काम आवे । नोट—पर्त ८ की सतर १ में विदित से पहले का शब्द कटा है व सतर ६ मे (नाराजी) गन्दा है व पर्त ९ की सतर ७ मे (कि) व सतर ८ मे (२००) गन्दे हैं जो हमको मंजूर है

(ओमप्रकाश सैनी)
सचिव
[illegible] सहकारी [illegible] लि०

100Rs.

१०० रु.

Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

31 MAR 2004

तैथ दिनांक- १४-०६-२००४ई०।

सचिव

स्टाम्प विक्रय की तिथि
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि

(गोविन्द सिंह पंमोनियाँ)
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं०-21
लाइसेंस की अवधि 31-3-200..
सदर तहसील परिसर, आगरा

आज दिनांक 14-6-04 को बही
सं० ... जिल्द सं० 504 के
पृष्ठ 197/180 क्र० सं० 2417
पर पंजीकृत किया गया।

उप निबन्धक (सदर)
आगरा

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

Rs 100

ONE HUNDRED RUPEES

31 MAR 2004

क्रयकर्ता – पं० हनुमानप्रसाद कौशल निवासीनूरीदरवाजा आगरा।

द्वारा एडवा० पूरनचन्द शर्मा तहसील परिसर आगरा। [illegible]

[illegible]

PAN ABAPK-1876-B

साक्षी श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

हस्ताक्षर/नि०अं० [illegible]

साक्षी श्री Ajeet Kr. Singh

पुत्र श्री Ram Veer Singh

निवासी [illegible]

हस्ताक्षर/नि०अं० [illegible]

सचिव

[illegible] सहकारी आवास समिति लि०

आगरा

नक्शा नजरी कुल 10 भूमि खसरा नं. 326 390 401, 402
404/1, 442, 389, 398 404/2, 386, 393, 400 वाके ग्राम
मौजा मुरलीका भटकारा
विक्रेता:- रमिनाथ शर्मा व अन्य
क्रेता:- पवन सहकारी आवास समिति लि० आगरा
रकबा 0.511 हेक्टेयर

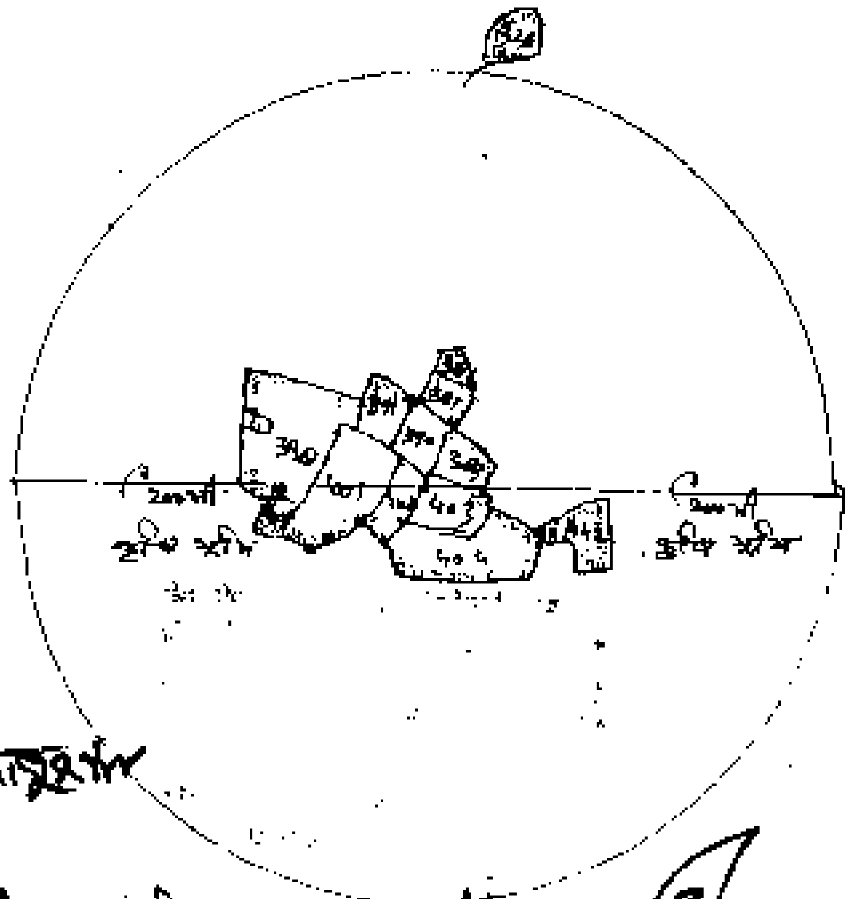

सचिव
पवन सहकारी आवास समिति लि०